



## न्यायालय

### उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/48/2025

ऑनलाईन नम्बर:- 2025/240

प्रवेश तिथि:-06.08.2025

1. जगदीश प्रसाद मीना पुत्र स्व० रामफूल मीना निवासी अनावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर।



.....प्रार्थी

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल०आर०एक्ट० 1956  
उपस्थित :1. श्री धर्मेन्द्र शर्मा डेरा एड०-प्रार्थी  
2. तहसीलदार राजगढ़

-:निर्णय:-

दिनांक:-17/12/2025

1 आज यह पत्रावली वारंते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम वाकत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 236 खसरा नम्बर 174/0.72, 175/7.23 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी के पिता की कब्जे काशत की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी का पिता रामफूल 1/16 हिस्सा का काविज रिकॉर्डेड खातेदार काशतकार है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूली पुत्री भौरा दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम अन्य रिकार्ड में रामफूल पुत्र भौरा दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी के पिता रामफूल पुत्र भौरा की अन्य खातेदारी की आराजी खाता संख्या 19 आराजी खसरा संख्या 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 519/835, 522, 523, 524/834 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर में उनका सही नाम रामफूल पुत्र भौरा दर्ज है। इसके अतिरिक्त अन्य दरस्तावेजों में भी प्रार्थी के पिता का नाम रामफूल पुत्र भौरा दर्ज है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पिता सही नाम रामफूल पुत्र भौरा दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक कोर्ट/आर.ए./धारा-136/2025/215 दिनांक 06.08.2025 से तहसीलदार राजगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़  
जिला-अलवर

तहसीलदार राजगढ़ के पत्रांक क्रमांक/भू.अ./2025/1801 दिनांक 24.09.2025 की मौका जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताबिक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 236 खसरा नम्बर 174/0.72, 175/7.23 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ़ में प्रार्थी के पिता का नाम फूली पुत्र भौरा सा० देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट से साबित है कि फूली पुत्री भौरा व रामफूल पुत्र भौरा एक ही व्यक्ति है। जिसका सही जिनका सही नाम रामफूल पुत्र भौरा होना बताया गया।

3. बहस वकूलाय सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकूलाय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 236 खसरा नम्बर 174/0.72, 175/7.23 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से फूली पुत्री भौरा गलत दर्ज कर दिया। जिसका सही नाम मुताबिक तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 रामफूल पुत्र भौरा है। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 व मौका पर्या पटवारी दिनांक 15.09.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ़ की जाँच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 236 खसरा नम्बर 174/0.72, 175/7.23 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूली पुत्री भौरा दर्ज है उसके स्थान पर रामफूल पुत्र भौरा दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे। तहसीलदार राजगढ़ को निर्णय की एक प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा भूषण आर.ए.एस.)  
उपखण्ड-अधिकारी राजगढ़  
जिला-अलवर

